विधि विद्यापीठ

उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण पत्र (सी.सी.पी)

सत्रीय कार्य : जनवरी, 2025 और जुलाई, 2025

प्रिय विद्यार्थी,

विश्वविद्यालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपको एक सत्रीय कार्य पूरा करना है।

आप पाएंगे कि सत्रीय कार्यों में दिए गए प्रश्न विश्लेषणात्मक (analytical) और वर्णनात्मक (descriptive) हैं ताकि आप अवधारणाओं को बेहतर ढंग से जान और समझ सकें।

यह महत्त्वपूर्ण है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। स्मरण रहे कि सत्रीय कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा और आप सत्रांत परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

स्त्रीय कार्य जमा कराना

आपको अपने अध्ययन केंद्र के संचालक (Co-ordinator) के पास सत्रीय कार्य जमा कराने हैं। आपको जमा कराए गए सत्रीय कार्यों के लिए अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य लेनी चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए। आप जो सत्रीय कार्य जमा कराएं, कृपया उसकी फोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें।

मूल्यांकन करने के बाद, अध्ययन केंद्र आपको सत्रीय कार्य लौटा देगा। कृपया जाँचे गए सत्रीय कार्यों के लिए आग्रह कीजिए। अध्ययन केंद्र इग्नू स्थित विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, नई दिल्ली को अंक भेजेगा।

आपको अपने अध्ययन केंद्र में नीचे लिखे अनुसार सत्रीय कार्य जमा कराने हैं :

जनवरी के लिए 30 अप्रैल, 2025

जुलाई के लिए 30 अक्टूबर 2025 तक

सत्रीय कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश

हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्रीय कार्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। आपको इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा :

1) **योजना :** सत्रीय कार्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उन इकाइयों का अध्ययन कीजिए जिन पर वे आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ बिंदु तैयार कीजिए और फिर उन्हें तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

2) **आयोजन :** अपने उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार करने से पहले थोड़ा चयन और विश्लेषण कीजिए। प्रश्न की प्रस्तावना (परिचय) और निष्कर्ष पर पर्याप्त ध्यान दीजिए।
   यह सुनिश्चित कर लें कि :
   क) उत्तर तर्कसंगत और उपयुक्त है।
   ख) वाक्यों और पैराग्राफों का स्पष्ट मेल है।
   ग) आपकी अभिव्यक्ति में प्रस्तुतिकरण सही है।

3) **प्रस्तुतिकरण :** एक बार अपने उत्तर से संतुष्ट होने पर आप सत्रीय कार्य जमा कराने के लिए अंतिम रूप (पाठ) लिख सकते हैं। **अपनी लिखाई में सभी सत्रीय कार्य स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है।** यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप जिन बिन्दुओं पर जोर देना चाहते हैं, उनको रेखांकित कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में होना चाहिए।

शुभकामनाओं के साथ

कार्यक्रम संचालक (सी.सी.पी.)

सी.पी. आई 103: उपभोक्ता संरक्षण मुद्दे

पाठ्यक्रम कोड : सी.पी.आई–103
सत्रीय कार्य कोड : सी.पी.आई–103/टीएमए/2025
कुल अंक : 100

सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। **(अंक)**

1. यूनाइटेड किंग्डम और ऑस्ट्रेलिया देशों में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की संक्षेप चर्चा कीजिए। 10
2. उपभोक्ता के कर्तव्यों की सविस्तार चर्चा कीजिए। 10
3. विविध बीमा दावे करने की कार्यविधि एवं औपचारिकताओं की सविस्तार चर्चा कीजिए। 10
4. रेलवे में बुक किए टिकट (टी.डी.आर) के रिफंड के आधार और रेलवे के रिफंड नियमों की चर्चा कीजिए। 10
5. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अधिनियमन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। 10
6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनिय के तहत उल्लिखित निवारण तंत्रो की चर्चा कीजिए। 10
7. चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के तहत वी. कृष्ण कमार वनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (2009 की सिविल अपील संख्या 8065) की चर्चा कीजिए। 10
8. बैंकिग लोकपाल योजना (1995,2002 और 2006) पर विस्तार से चर्चा कीजिए। 10
9. आवास से संबंधित उपभोक्ता कानून निर्णयों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। 10
10. खरीदी गई वस्तुओं में या किराये की सेवा में दोष व्यक्त करते हुए निम्नलिखित नमूना फार्म तैयार कीजिए।

    क. शिकायत दर्ज करने से पहले (विक्रेता/निर्माता/सेवा प्रदाता) को भेजे जाने वाला शिकायत पत्र (नोटिस)। 5

    ख. कंज्यूमार फोरम में निष्पादन याचिका दायर करने का प्रारूप। 5